नारी की प्रतिष्ठा और उसके अधिकारों की बहाली

द्वारा

मौलाना अबुल हसन अली नदवी

अनुवादक

मुहम्मद हसन अंसारी

अकादमी ऑफ इस्लामिक रिसर्च एण्ड पब्लीकेशन्स
पोस्ट बॉक्स नं० 119, लखनऊ

www.abulhasanalinadwi.org

सर्वाधिकार सुरक्षित :

मजलिस तहक़ीक़ात व नशिरयाते इस्लाम
पोस्ट बाक्स नं० 119, टैगोर मार्ग,
नदवा, लखनऊ (भारत)

सीरीज़ नं० 197

प्रथम संस्करण हिन्दी
1986

मुद्रक :

मुद्रण कला भवन
76, मोतीलाल बोस रोड, लखनऊ

www.abulhasanalinadwi.org

"दो शब्द"

प्रस्तुत लेख मौलाना अबुल हसन अली नदवी की "अकेडेमी आफ इस्लामिक रिसर्च ऐण्ड पब्लीकेशन्स पोस्ट बक्स नं० 119, लखनऊ" से प्रकाशित पुस्तक "सभ्यता और संस्कृति पर इस्लाम की छाप और उसकी देन (तहज़ीब व तमद्दुन पर इस्लाम के असरात व एहसानात)" का एक अध्याय है जिसका हिन्दी अनुवाद समय के माँग को देखते हुये हिन्दी भाषा–भाषी–भाई–बहनों के लिये अलग से प्रकाशित किया जा रहा है।

अनुवादक

रायबरेली,
23 जनवरी 1986 ई०

www.abulhasanalinadwi.org

www.abulhasanalinadwi.org

नारी की प्रतिष्ठा और उसके अधिकारों की बहाली

इस्लाम से पहले नारी की दशा :

पहले हम यहाँ कुछ प्रस्तावना की बातें कहना चाहते हैं जो उन उपायों को समझने के लिए आवश्यक हैं जो इस्लाम ने औरतों के हित में किये हैं। हम यहाँ विख्यात अरब विद्वान आचार्य अब्बास महमूद अल-अक़्क़ाद की पुस्तक, "अलमरात फ़िल्क़ुरआन" के कुछ उद्धरण प्रस्तुत करते हैं, जो इस विषय पर विस्तृत शोधकार्य की हैसियत रखती है।

विद्वान लेखक ने इस्लाम से पहले धर्म और समाज में नारी का स्थान पर बहस करते हुए लिखा है :

"हिन्दुस्तान में मनु की शरीअत (धर्मशास्त्र)[1] पिता, पति या दोनों के निधन हो जाने की दशा में बेटे से अलग औरत का कोई मुस्तक़िल हक़ नहीं मानती थी और इन सब के निधन के बाद उसका पति के किसी निकट सम्बन्धी से सम्बद्ध हो जाना आवश्यक था। वह किसी दशा में अपने मामले में खुद मुख्तार नहीं हो सकती थी। आर्थिक मामलों में उसकी हक़तल्फ़ी (अधिकारों का हनन) से ज़्यादा सख़्ती उसके पति से अलग ज़िन्दगी के इनकार की

---

1. "मनुस्मृति" प्राचीन भारत की सबसे पुरानी क़ानून की किताब समझी जाती है।

www.abulhasanalinadwi.org

सूरत में थी, जिसके अनुसार पत्नी को पति के मरने के दिन मर जाना और उसकी चिता पर सती हो जाना ज़रूरी था। यह पुरानी प्रथा प्राचीन काल से सत्तरहवीं शताब्दी तक बनी रही और इसके बाद धार्मिक हल्क़ों की अरुचि के बावजूद समाप्त हो गई।

हमोराबी[1] की शरीअत (धर्मशास्त्र) औरत को पालतू जानवर समझती थीं। उसकी नज़र में औरत की हैसियत का अन्दाज़ा इस से हो सकता है कि उसके अनुसार अगर किसी ने किसी की लड़की क़त्ल की है तो हत्यारे को अपनी लड़की क़त्ल की गयी (मक़तूला) लड़की के बदले में लड़की वाले के हवाले करनो होती थी ताकि वह उसे कत्ल कर दे, या बान्दी बनाले या क्षमा कर दे, किन्तु वह प्रायः शरीअत के आदेशों को कार्यान्वित करने हेतु क़त्ल ही की जाती थी। प्राचीन यूनान में नारी हर प्रकार के अधिकार और आज़ादी से वंचित थी, उसे ऐसे बड़े घरों में रहना होता था जो रास्ते से दूर, कम खिड़कियों वाले होते थे, और उनके दरवाजों पर पहरेदार नियुक्त होते थे। बीबियों और घरेलू औरतों के प्रति उदासीनता के कारण बड़े यूनानी शह्रों में ऐसे आयोजनों का प्रचलन हो गया था जिनमें गाने वालियों और सुन्दरियों से दिल बहलाया जाता था। सभ्य आयोजनों में औरतों को मर्दों के साथ जाने की बहुत कम अनुमति थी। इसी प्रकार दार्शनिकों की मण्डली स्त्रियों से खाली नज़र आती हैं और पेशावर औरतों या मुतल्लेक़ा (तलाक़ दी हुई) बाँदियों जैसी ख्याति व सम्मान किसी शरीफ़

---

1. तीन हजार ईसा पूर्व ईराक़ के शासक वंशज का मशहूर बादशाह जिसने एक मज़बूत हुकूमत की बुनियाद रखी।

www.abulhasanalinadwi.org

औरत को हासिल नहीं हुई ।

अरस्तू स्पार्टा वासियों पर आपत्ति करता था कि अपने परिवार की औरतों के साथ नरमी बरतते हैं और उन्होंने उनको विरासत, तलाक़ और आज़ादी के अधिकार दे रखे हैं जिनसे वह घमण्ड करने लगी है । वह स्पार्टा के पतन को औरतों की बेजा आज़ादी ही का नतीजा समझता है ।

प्राचीन रोम वासियों का औरतों के साथ मामला प्राचीन हिन्दुओं ही जैसा था, जिसके अन्तर्गत वह बाप, पति और बेटों के अधीन रहती थीं । अपनी सभ्यता के विकास के युग में उनका विचार था कि "न औरत की बेड़ी काटी जा सकती है न उसकी गर्दन से जुआ उतारा जा सकता है" अतएव काटू का कथन था :

"Nunguam Exvitur Servitus Mulie Brio."

> रूमी औरत इन बन्धनों से उस समय आज़ाद हुई जब बग़ावत और अवज्ञा पालन करके रूमी गुलाम आज़ाद हुये और औरत को गुलाम रखना असम्भव हो गया" ।

आचार्य अक़्क़ाद ने प्राचीन मिस्री सभ्यता में औरतों के कुछ अधिकारों का वर्णन करने के बाद लिखा है :

"इस्लाम से पहले मिस्री सभ्यता और उसके कानून समाप्त हो चुके थे । और मध्य पूर्व में रूमी सभ्यता की गिरावट और उसकी विलासता की प्रतिक्रिया स्वरूप सांसारिक जीवन से घृणा की प्रवृत्ति पैदा हो गयी थी, बल्कि जिन्दगी तथा सन्तान के प्रति उदासीनता पैदा हो गयी थी । और धार्मिक प्रवृत्ति ने शरीर और नारी को अपवित्र समझ लिया था तथा औरत को गुनाहों का ज़िम्मेदार ठहराया जाता था और ग़ैर ज़रूरतमन्द के लिये उससे दूरी अच्छी

www.abulhasanalinadwi.org

समझी जाती थी ।

यह मध्य युग की इस प्रवृत्ति ही का प्रभाव था कि पन्द्रहवीं सदी ईस्वी तक कुछ धर्म के ठेकेदार नारी के स्वभाव के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे थे और माकोन "Macon" के सम्मेलन में वह यह प्रश्न कर रहे थे कि क्या वह आत्माविहीन शरीर है या आत्मा रखने वाला शरीर है, जिससे मोक्ष या मौत जुड़ी होती है ? अधिकतर लोगों का विचार था कि वह मोक्ष (नजात) पाने वाली आत्मा से ख़ाली है, और इसमें ईसा मसीह की माता कुमारी मरियम के अतिरिक्त कोई अपवाद नहीं" ।

रूमी युग की इस प्रवृत्ति ने बाद की मिस्री सभ्यता में नारी के स्थान को प्रभावित किया । मिस्रवासियों पर रोम के अत्याचारों की क्रूरता उनके सन्यास और संसार से अरूचि का कारण बन गई थी अतएव बहुत-से भक्त संन्यास को ईश्वर के सानिध्य का साधन और शैतान के मकर से (जिसमें नारी सर्वोपरि थी) दूराव का स्रोत जानते थे ।

अनेक पश्चिमी इतिहासकार यह आरोप लगाते हैं कि इस्लाम ने अपनी शरीअत में अगली शरीअतों विशेषकर मूसवी शरीअत से बहुत कुछ लिया है । इसकी काट तौराती और कुरआनी शरीअत में नारी के महत्व के तुलनात्मक अध्ययन से अच्छी तरह हो जाती है । अतएव हज़रत मूसा से सम्बद्ध किताबों की शिक्षा के अनुसार लड़की बाप की मीरास से ख़ारिज हो जाती है अगर उसका लड़का मौजूद हो ।

यह उस हिबा की क़िस्म से है जिसे बाप अपने जीवन में अंगीकार करता है ताकि मरने के बाद शरई वाजिबात की तरह

www.abulhasanalinadwi.org

मीरास वाजिब न हो।

मीरास के बारे में स्पष्ट आदेश यह है कि जब तक लड़का रहेगा, लड़की उससे वंचित रहेगी और जिस लड़की को मीरास मिलेगी उसे किसी दूसरे क़बीले में शादी की इजाज़त न होगी और न उसे किसी और क़बीले की तरफ़ मीरास हस्तान्तरित करने की अनुमति होगी। यह हुक्म तौरात में अनेक जगहों पर है।

अब हम उस पावन भूमि की ओर चलते हैं जहाँ से कुरआन की शिक्षा प्रारम्भ हुई थी अर्थात्—अरब प्रायद्वीप किन्तु आपको वहाँ भी यह आशा न रखनी चाहिये कि वहाँ नारी के साथ न्याय तथा नर्मी का कोई अलग बर्ताव किया जाता था बल्कि अरब प्रायद्वीप के कुछ भागों में नारी के साथ दुर्व्यवहार दुनिया के सारे देशों से अधिक था। और कुछ भागों में उससे इसलिये अच्छा व्यवहार किया जाता था और उसका पति के यहाँ आदर किया जाता था कि वह किसी रोबदार रईस की लड़की या किसी लोकप्रिय बेटे की माँ है। लेकिन उसका आदर केवल इसलिये किया जाता कि वह औरत है और इस हैसियत से उसके कुछ अधिकार हैं, इसकी आशा नहीं करनी चाहिये कि पिता, पति, भाई और बेटे अपनी जायदाद में शामिल चीजों की तरह उसकी सुरक्षा करते थे, क्योंकि यह आदमी के लिए ऐब था, (अवगुण) कि उसके घर का अपमान हो जिस तरह यह ऐब था कि उसके समर्थन प्राप्त या किसी निषिद्ध वस्तु पर हाथ डाला जाय जिसमें उसके घोड़े, जानवर, कुआँ तथा चरागाह आदि शामिल थे। वह माल व जानवरों के साथ मीरास (जायदाद) में हस्तान्तरित की जाती थी। आदमी शर्म के मारे अपनी बेटी को बचपन ही में जिन्दा दफ़न कर देता

www.abulhasanalinadwi.org

था। और उस पर खर्च को बोझ समझता था, जबकि अपनी मिलकियत में आयी बान्दी अथवा लाभप्रद जानवर पर वह खर्च को बोझ नहीं समझता था। और जो उसे जिन्दा रखते और बचपन में जीवन दान कर देते उनकी नज़र में उसकी कीमत मौरास की थी जो बाप से बेटों को हस्तान्तरित होती थी और क़र्ज़ या सूद की अदायगी में उसे बेचा और रेहन रखा जा सकता था। वह इससे उसी समय बच सकती थी जब वह किसी लब्ध प्रतिष्ठित क़बीले की लड़की होती जिसकी हिमायत और सन्निकटता को मान-मर्यादा प्राप्त होती थी"।

"बुद्धमत"

बुद्धमत में नारी के सम्बन्ध में विचारों का एक नमूना (Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. V. P. 271) के लेखक ने एक बुद्ध विचारक (Chullavagga) के कथन से प्रस्तुत किया है जिसे "Oldenberg" ने अपनी पुस्तक, "बुद्ध" (Buddha) जो 1906 ई० में प्रकाशित हुई के पृष्ठ 169 पर नक़ल किया है :

"पानी के अन्दर मछली की, समझ में न आने वाली, आदतों की तरह नारी का स्वभाव भी है। उसके पास चोरों की तरह अनेक हथकंडे हैं और सच का उसके पास गुज़र नहीं।"

"हिन्दू धर्म"

उपरोक्त ईसाइक्लोपीडिया के लेखक ने नारी के सम्बन्ध में

× 1. "अलमरात फिल कुरआन" लेखक आचार्य महमूद अलअककाद, प्रकाशक—दार–अलहेलाल, मिस्र पृष्ठ 51–57।

www.abulhasanalinadwi.org

हिन्दुओं के विचार के बारे में लिखा है :

"ब्राह्मणइज़्म में विवाह को बड़ा महत्व प्राप्त है। हर व्यक्ति को शादी करना चाहिये। लेकिन मनु के धर्म-शास्त्र के अनुसार पति पत्नी का सरताज है उसे अपने पति को नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वह अगर दूसरी महिलाओं से सम्बन्ध रखे या मर जाय तब भी किसी दूसरे पुरुष का नाम अपनी ज़बान पर न लायें। अगर वह दूसरा विवाह करती है तो वह स्वर्ग से वंचित रहेगी जिसमें उसका पहला पति रहता है। पत्नी के अपतिव्रता होने की दशा में उसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। औरत कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती। वह तर्का नहीं पा सकती। पति के मरने पर अपने सबसे बड़े बेटे के अधीन जीवन व्यतीत करना होगा। पति अपनी पत्नी को लाठी से भी पीट सकता है।"

यूनीवर्सल हिस्ट्री ऑफ दी वर्ल्ड में रे स्ट्रेची हिन्दुस्तान के बारे में लिखता है[1] :

"ऋग्वेद में (जिसमें मानव के पूर्वजों की कहानियाँ भी हैं) औरतों को तुच्छ स्थान दिया गया है। बाद में यह समझा जाने लगा कि वह आध्यात्मिक रूप से अविश्वसनीय बल्कि लगभग आत्माविहीन है। और मौत के बाद पुरुषों की नेकियों (पुण्य कार्य) के बिना वह अमर नहीं हो सकती उसकी सारी आशाओं को समाप्त करने वाले धर्म के साथ रीति-रिवाज की बेड़ियों ने (जो धीरे-धीरे पैदा होती गयी) यह असम्भव कर दिया कि औरत किसी

---

1. Universal History of the World Ed. J. A. Hamerton (Vol. I, P. 378; London)

www.abulhasanalinadwi.org

विशिष्ट व्यक्ति को जन्म दे सके। औरतों को जन्म देने वाले मनु ने उन्हें अपने घर, विस्तर, जेवर की मुहब्बत, बुरी इच्छायें क्रोध (काम-क्रोध) बेईमानी और दुराचरण प्रदत्त किये। औरतें इतनी ही बुरी हैं जितना कि झूठ। यह एक अकाट्य सत्य था। नारी के जन्मजात स्वभाव में है कि वह पुरुषों को इस दुनिया में गलत रास्ते पर डाले। इसीलिये बुद्धिमान नारी के संग निश्चिन्त हो कर नहीं बैठते।

बाल-विवाह, विधवाओं से घृणा, सती और पर्दा एक ऐसे समाज के अनुकूल हैं जिसमें नारी का महत्व बच्चे जनने वाली प्राणी से अधिक नहीं। सम्भवतः नवजात लड़कियों की मौत एक ऐसी दुनिया में उनके लिए वरदान है जिसमें उसे सन्दिग्ध, बुराई का स्रोत, धोखाबाज़, स्वर्ग के रास्ते का रोड़ा और नर्क का द्वार समझा जाता है।"

चीन

रे स्ट्रेची चीन में औरत की हैसियत के बारे में लिखता है:

"सुदूर पूर्व अर्थात् चीन में हालात इससे बेहतर नहीं थे। छोटी लड़कियों के पैरों को काठ मारने की प्रथा का उद्देश्य यह था कि उन्हें बेबस और नाजुक रखा जाये। यह प्रथा यद्यपि ऊँचे और मालदार वर्ग (तब्के) में प्रचलित थी, किन्तु इससे "आसमानी हुकूमत" के काल में नारी की दशा पर रौशनी पड़ती है।"

इंग्लैंड

रे स्ट्रेची इंग्लैंड में नारी के महत्व के बारे में लिखता है :-

www.abulhasanalinadwi.org

"वहाँ उसे हर प्रकार के नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। शिक्षा के द्वार उस पर बन्द थे। केवल तुच्छ मज़दूरी के अलावा वह कोई काम नहीं कर सकती थी। और विवाह के समय उसे अपनी सारी सम्पत्ति त्याग देनी पड़ती थी।

यह कहा जा सकता है कि मध्य युग से उन्नीसवीं शताब्दी तक नारी को जो स्थान दिया गया था, उस से किसी बेहतरी की आशा नहीं की जा सकती थी।"

इस्लामी शिक्षा

आज पिछली शिक्षाओं की तुलना इस्लाम के उस नये तथा विशिष्ट रोल से कीजिये जो उसने नारी की प्रतिष्ठा की बहाली मानव समाज में उसे उचित स्थान दिलाने, अत्याचार के ढाने वाले क़ानून, अन्यायपूर्ण प्रथाओं और पुरुषों के स्वार्थ व स्वाभिमान से उसे छुटकारा दिलाने के लिये प्रतिपादित किया है। क़ुरआन पर एक विहंगम दृष्टि भी नारी के सम्बन्ध में अज्ञानतापूर्ण दृष्टिकोण तथा कुरआनी व इस्लामी दृष्टिकोण के खुले अन्तर को समझने के लिए काफी है।

कुरआन का वह अंश जो नारी के सम्बन्ध में अवतरित हुआ है, वह नारी के अन्दर इसलिए आत्म विश्वास उत्पन्न करता है कि उसके अनुसार समाज में और ईश्वर के निकट नारी का एक सुनिश्चित स्थान है। और वह धर्म व ज्ञान, इस्लाम की सेवा, भलाई के कार्यों में सहयोग और अच्छे समाज के निर्माण में पूरी तरह हिस्सा ले सकती है। कुरआन की आयतें कर्म के फल, मोक्ष व मुक्ति के बयान में हमेशा पुरुषों के साथ स्त्रियों का भी वर्णन करती हैं।

www.abulhasanalinadwi.org

उदाहरण के लिये यहाँ कुरआन की दो आयतों के अनुवाद दिये जा रहे हैं :

अनुवाद : "और जो कोई सत्कर्म करेगा, पुरुष हो या स्त्री और वह ईमान वाला हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। और उन पर तनिक भी अत्याचार न होगा।"

(सूर : निसा—124)

अनुवाद : "सो उनकी दुआ को उनके पालनहार ने कबूल कर लिया, क्योंकि मैं तुम में किसी कर्म करने वाले के (चाहे) पुरुष हो या स्त्री, कर्म को नष्ट नहीं होने देता, तुम आपस में एक दूसरे के पूरक हो।"

(सूर : आले इमरान—195)

इसी प्रकार कुरआन पवित्र जीवन के साधन व स्रोत प्रदान करने के अवसर पर भी पुरुषों के साथ स्त्रियों को याद रखता है बल्कि उसके लिये जमानत देता है। और उसका वायदा करता है। "पवित्र जीवन" का अर्थ है। मिसाली और कामयाब जिन्दगी जिसमें इज्जत और इतमीनान (सम्मान व तुष्टि) हो :

अनुवाद : "नेक अमल (सत्कर्म) जो कोई भी करेगा पुरुष हो अथवा स्त्री शर्त यह है कि ईमान वाला हो, तो हम उसे अवश्य एक पवित्र जीवन प्रदान करेंगे। और हम उन्हें उनके अच्छे कामों के बदले में अवश्य बदला देंगे।"

(सूर : अल—नहल—97)

सदगुण, सत्कर्म तथा धर्म के प्रमुख अंशों का वर्णन करते समय

www.abulhasanalinadwi.org

कुरआन केवल पुरुषों के साथ स्त्रियों का उल्लेख तथा यह संकेत ही नहीं करता कि सत्कर्मों और सद्‌गुणों में पुरुष व स्त्री में कोई अन्तर नहीं, बल्कि इसके विपरित कुरआन एक-एक गुण को अलग बयान करता है और जब पुरुषों के उस गुण का उल्लेख करता है तो उसी गुण से स्त्रियों को भी सुशोभित करता है और उनका उल्लेख करता है भले ही इसके लिये विस्तृत वर्णन शैली अपनानी पड़े।

इसकी हिकमत (जतन) यह है कि इन गुणों में शक्ति और सामर्थ रखने वाले पुरुषों के समकक्ष स्त्रियों को समझने पर वह मानव मन तैयार नहीं होता जिसका पालन-पोषण ग़ैर इस्लामी धर्मों व दर्शन-शास्त्र तथा प्राचीन सभ्यता व शिष्टाचार की छत्र-छाया में हुआ है। ऐसी मनोवृत्ति ने सदैव पुरुषों और स्त्रियों में अन्तर किया है। और स्त्रियों को अनेक अच्छी बातों में पुरुषों के साथ सम्मिलित होने से भी अलग कर रखा है। उनके हस्तक्षेप व आगे निकल जाने को सहन करना तो दूर की बात रही।

कुरआन की इस आयत को ध्यान से देखें :

अनुवाद : बेशक इस्लाम वाले और इस्लाम वालियों, और ईमान वाले और ईमान वालियों, आज्ञाकारी पुरुष और आज्ञाकारी स्त्रियाँ और सच्चे पुरुष और सच्ची स्त्रियाँ, और सब्र करने वाले पुरुष और सब्र करने वाली स्त्रियाँ और (अल्लाह के सामने) गिड़गिड़ाने वाले पुरुष और गिड़गिड़ाने वाली स्त्रियाँ, और ख़ैरात करने वाले पुरुष और ख़ैरात करने वाली स्त्रियाँ और रोज़ा रखने वाले और रोज़ा रखने वालियाँ और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करने

www.abulhasanalinadwi.org

वाले और हिफाज़त करने वालियाँ, और अल्लाह को
कसरत से याद करने वाले और याद करने वालियाँ
इन (सब) के लिये अल्लाह ने (पापों की) क्षमा
और बड़ा प्रतिफल (अज्र) तैयार कर रखा है।"

(सूर : अहज़ाब–35)

कुरआन सिर्फ आज्ञापालन व उपासना के सिलसिले में स्त्रियों का उल्लेख नहीं करता बल्कि सक्षम पुरुषों, विद्वानों, साहसियों धार्मिक व नैतिक लेखा-जोखा और अच्छी बातों का हुक्म करने तथा बुरी बातों से मना करने की राह में यातनायें झेलने वालों के साथ भी उनका उल्लेख करता है। कुरआन स्त्री-पुरुष को एक जुट होकर भलाई व ईश्वर से भय (खैर व तक़वा) पर सहयोग करने वाली टोली के रूप में देखना चाहता है। सूर : तौबा में है :

अनुवाद : और ईमान वाले और ईमान वालियाँ आपस में एक
दूसरे के सहयोगी हैं। नेक बातों का आपस में हुक्म
देते हैं और बुरी बातों से रोकते रहते हैं और नमाज़
की पाबन्दी रखते हैं और ज़कात देते रहते हैं। और
अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलते हैं।
यह वह लोग हैं कि अल्लाह उन पर ज़रूर रहमत
करेगा। बेशक अल्लाह बड़े अख़्तेयार वाला और
बड़ी हिकमत वाला है।

(सूर : तौबा : 71)

क़ुरआन मानवता के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य––प्राप्ति का साधन लिंग नस्ल, रंग व रक्त भेद से परे मात्र तक़वा (ईश्वर से भय और डर) को ठहराता है :

www.abulhasanalinadwi.org

अनुवाद : "ऐ लोगो ! हमने तुम (सब) को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हारी विभिन्न जातें व बिरादरियाँ ठहराई हैं ताकि एक दूसरे को पहचान सको, बेशक तुम में से सबसे इज़्ज़तवाला वह है जो सब से ज्यादा परहेज़गार है । बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और पूरी ख़बर रखने वाला है ।"

(सूर : हुजुरात—13)

यह सब बातें औरत में साहस, स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास उत्पन्न करने और आधुनिक मनोविज्ञान के शब्द में नारी को हीनता की भावना (Inferiority Complex) से दूर रखने के लिये काफी हैं ।

इन्हीं शिक्षाओं के फलस्वरूप अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद साहब के बाद से वर्तमान युग तक दीक्षा देने वाली, जेहाद और तीमारदारी करने वाली, साहित्यकार, लेखिका, क़ुरआन के हाफ़िज़, हदीस, बयान करने वालो, उपासिका तथा समाज में इज़्ज़त व हैसियत वाली महिलाओं की एक बड़ी संख्या पाई जाती है जिससे ज्ञानार्जन किया गया और जिनसे दीक्षा प्राप्त की गई और जो उच्च एवम् आदर्श व्यक्तित्व रखती थीं ।

इस्लाम ने मुसलमान औरत को जो अधिकार दिये हैं उनमें कुछ एक इस प्रकार हैं । मिलकियत व मीरास का हक़ क्रय-विक्रय का अधिकार, पति से अलग होने (ख़ुला) का अधिकार (अगर ज़रूरी हो), मंगनी समाप्त करने का अधिकार (अगर उससे वह सहमत न हो) दोनों ईद, जुमा और जमाअत की नमाज़ों में सम्मिलित होने का अधिकार । इनके अतिरिक्त अधिकारों का विस्तृत

कानून अभी हाल तक इंग्लैंड में अपनाये जा रहे थे । यह सर्वाधिक न्यायोचित कानून था जो दुनिया में पाया जाता था । जायदाद (सम्पत्ति) विरासत (उत्तराधिकार) के अधिकार और तलाक के मामले में यह योरोप (पश्चिम) से कहीं आगे था, और नारी के अधिकारों का रक्षक था । एक पत्नी और बहु-पत्नी के शब्दों ने लोगों पर जादू कर दिया है और वह योरोप में औरत की इस ज़िल्लत (अपमान) पर नजर नहीं डालना चाहते जिसे उसके प्रथम रक्षक सड़कों पर मात्र इसलिये फेंक देते हैं कि उससे उनका दिल भर जाता है । और वह फिर उनकी कोई मदद नहीं करता ।"

श्री० एन० एल० कूल्सेन [N. L. Coulsen] अपनी पुस्तक "A History of Islamic Law Edinburg 1971, P. 14" में लिखते हैं :

'निस्सन्देह महिलाओं की हैसियत (प्रतिष्ठा) के मामले में विशेषकर विवाहित औरतों के मामले में क़ुरआन के कानून उच्च स्थान रखते हैं । निकाह और तलाक़ के कानून बड़ी संख्या में हैं जिनका सामान्य उद्देश्य औरतों की हैसियत में बेहतरी लाना है, और वह अरबों के कानून में क्रान्तिकारी परिवर्तन के द्योतक हैं ।"...............

उसे वैधानिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है जो उसे पहले से प्राप्त नहीं था तलाक के कानून में क़ुरआन ने जो सबसे बड़ी तबदीली (परिवर्तन) की है, वह इददत को उसमें शामिल करना है ।

"Encyclopedia of Religion and Ethic" का लेखक

www.abulhasanalinadwi.org

वर्णन "फ़िक़ा" की किताबों (विधि-शास्त्र) में मौजूद है।

योरोप के न्याय प्रिय विद्वानों की स्वीकारोक्ति

योरोप के अनेक न्यायप्रिय विद्वानों तथा समाजशास्त्र के पंडितों व इतिहास के विशेषज्ञों ने कुरआन की इन शिक्षाओं की बढ़त और बरतरी को स्वीकार किया है।

हम यहाँ दो-तीन उदाहरणों पर बस करते हैं। श्रीमती एनीबेसेन्ट (Mrs. Annie Besant) जिन्होंने भारत में सुधारात्मक आन्दोलन का नेतृत्व किया, जो दक्षिणी भारत की एक सांस्कृतिक संस्था थियोसाफ़िकल सोसाइटी की अध्यक्षा रही हैं, जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी हिस्सा लिया था, कहती हैं (किसी महिला की गवाही इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है कि वह नारी के मामले में संवेदनशील होती है और उसकी तरफ से बचाव में रूचि रखती है) :

> "आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इस्लाम धर्म की इसलिए आलोचना करते हैं कि यह सीमित बहु-विवाह (Polygamy) को जायज़ ठहराता है, किन्तु आपको मेरी वह आलोचना नहीं बताई जाती जो मैंने लन्दन के एक हाल में व्याख्यान देते हुए की थी। मैंने श्रोतागणों से कहा था कि एक पत्नी होने की दशा में बड़े पैमाने पर ज़िना बाजारी (बलात्कार) की मौजूदगी "ढोंग" (Hypocrisy) है और सीमित बहु-विवाह से अधिक अपमानजनक है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के बयान को लोग बुरा मानते हैं किन्तु इसे बतलाना ज़रूरी है क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि स्त्रियों के सम्बन्ध में इस्लाम के

लिखता है :

"पैगम्बरे इस्लाम ने निश्चिय ही औरतों का दर्जा उससे अधिक ऊपर उठाया जो उसे प्राचीन अरब में प्राप्त था। विशेषकर औरत मृत पति के तर्के (सम्पत्ति) का जानवर नहीं रही बल्कि स्वयं तर्क पाने की हकदार हो गयी और एक आजाद व्यक्ति की तरह उसे दोबारा शादी पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। तलाक की हालत में पति पर यह वाजिब हो गया कि वह उसे वह सब चीजें दे दे जो उसे शादी के समय मिली थीं।

इसके अतिरिक्त उच्च वर्ग की महिलायें विद्या (उलूम) और शायरी में रुचि लेने लगीं और कुछ ने गुरू की हैसियत से भी काम किया। जन साधारण की औरतें अपने घर की मालिकन की हैसियत से अपने पतियों के सुख-दुख में सम्मिलित होने लगीं। माँ की इज़्ज़त की जाने लगी।

नव जागरण और महान क्रान्ति

कुरआन और नबी की शिक्षाओं की रोशनी में नारी के महत्व के बारे में यह नया दृष्टिकोण मानो मानव जगत में नारी के नव-जागरण का हुक्म रखता था। क्योंकि जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं प्राचीन काल में उसमें और पालतू जानवर में या किसी बेजान चीज में कोई अन्तर न था। वह जिन्दा दफन कर दी जाती थी। रेहन रखी जाती थी या किसी महल को गुड़िया समझी जाती थी। ऐसी दशा में यह क्रान्तिकारी शिक्षायें सभ्यता व आचरण, घरेलू व वैवाहिक जीवन में शुभ संयोग की हैसियत में सामने आयीं जिनका थोड़ा बहुत सभी देशों ने और समाज ने स्वागत किया।

www.abulhasanalinadwi.org

विशेषकर उन देशों ने जहाँ इस्लाम ने विजयी बनकर प्रवेश किया अथवा उसे शासन व व्यवस्था का अवसर मिला अथवा जहाँ वह एक सुधारात्मक आह्वान और अमली (व्यावहारिक) नमूना के रूप में पहुँचा। इस्लाम की इस देन की क़द्र व कीमत उन देशों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है जहाँ विधवायें अपने को अपने मृत पतियों की चिता में जला डालती थीं। और न तो समाज उनकी पतियों के बाद जीवित रहने का अधिकार देता था और न वह स्वयं अपने को इसका हकदार समझती थीं।

मुसलमान बादशाहों ने अपने समय में कुछ हिन्दुस्तानी प्रथाओं विशेषकर "सती" की प्रथा का इस प्रकार सुधार किया कि धार्मिक विश्वास तथा हिन्दुस्तानी परम्परा को न नुकसान पहुँचे और न उनका अनादर हो। इस सम्बन्ध में विख्यात फ्राँसीसी यात्री डा० वर्नियर (Dr. Bernier) जिसने शाहजहाँ के शासन काल में भारत का भ्रमण किया था, अपने "सफर नामा" जो अमृतसर से 1886 में प्रकाशित हुआ, के खण्ड दो के पृष्ठ 172–174, में लिखता है :

"आजकल पहले की अपेक्षा सती की संख्या कम हो गयी है, क्योंकि मुसलमान जो इस देश के शासक हैं, इस जंगली प्रथा को समूल नष्ट करने का यथा सम्भव प्रयास करते हैं। और यद्यपि इसे लागू करने के लिये कोई क़ानून नहीं है, क्योंकि इनकी नीति का एक अंश है कि हिन्दुओं की विशिष्टताओं में, जिनकी संख्या मुसलमानों से कहीं अधिक है, हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। बल्कि उनको धार्मिक संस्कारों को करने में आज़ादी देते हैं तथापि सती प्रथा को कुछ न कुछ तरीकों से रोकते रहते हैं,

www.abulhasanalinadwi.org

यहाँ तक कि कोई औरत अपने प्रान्त के हाकिम की इजाज़त (अनुमति) के बिना सती नहीं हो सकती। और सूबेदार कदापि अनुमति नहीं देता जब तक कि निश्चित रूप से उसे विश्वास नहीं हो जाता कि वह अपने इरादे से हर्गिज़ बाज़ नहीं आयेगी। सूबेदार विधवा को वाद-विवाद (बहस मुबाहिसा) से समझाता है और बहुत से वायदे करता है उसे डराता है। और यदि उसके उपाय कारगर नहीं होते तो कभी ऐसा भी करता है कि अपनी महलसरा में भेज देता है ताकि बेगमात भी उसको अपने तौर पर समझायें।

किन्तु इन सब बातों के बावजूद सती की संख्या अब भी बहुत है। विशेषकर उन राजाओं के इलाकों और अमलदारियों में जहाँ कोई मुसलमान सूबेदार नियुक्त नहीं है।

आधुनिक योरोप व अमरीका में

जहाँ तक आधुनिक योरोप व अमरीका का सम्बन्ध है जहाँ आजकल औरत की आज़ादी का नारा बड़े जोश के साथ लगाया जाता है और जहाँ के बारे में विश्वास किया जाता है वहाँ औरत सबसे ज़्यादा इज्ज़त और आजादी व खुद मुख्तारी (स्वायतता) के साथ जिन्दगी गुज़ार रही है वहाँ की वर्तमान वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में यह ताज़ा मालूमात काफी है जो वहाँ के समाचार पत्रों, ज़िम्मेदार संस्थाओं तथा व्यक्तियों के बयानात से उद्धरित हैं।

पश्चिम व पूरब के विकसित देशों को उग्रवाद के एक नये रूप का सामना है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक विकास तथा मानव संसाधन के केन्द्र ने "घरेलू उग्रवाद" का नाम दिया है। वियाना स्थित इस केन्द्र ने विभिन्न देशों के सर्वेक्षण के परिणामों

www.abulhasanalinadwi.org

पर आधारित दो पत्र प्रकाशित किये हैं जिनमें तलाक (विवाह-विच्छेद) की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई घटनाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है और घरेलू उग्रवाद को वर्तमान युग की एक अत्यन्त मार्मिक व चिन्ताजनक वास्तविकता बताया गया है जिसकी ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है और जिसकी अनदेखी करना अब सम्भव नहीं रह गया है। इन पत्रों में इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है कि वैयक्तिक जीवन को सुदृढ़ व मजबूत बुनियाद प्रदान करने वाले परम्परागत मूल्यों का तेज़ी के साथ ह्रास होता जा रहा है। परिवार, जो कभी बूढ़े व अपंग व्यक्तियों की देख-भाल व सुरक्षा तथा बच्चों के पालन-पोषण की ऐसी जमानत देते थे, जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता था, अब बुरी तरह टूट-फूट के शिकार हैं। कोई किसी की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भी यह बात नोट की गयी थी कि औद्योगिक देशों में बीबियों (पत्नी) को मारने-पीटने की दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई घटनाओं, बलात्कार और बच्चों के पालन-पोषण तथा उनकी देख-रेख से लापरवाही के फलस्वरूप पारिवारिक जीवन के ताने-बाने बिखरते जा रहे हैं।

कनाडा के न्याय मन्त्रालय ने पिछले अक्तूबर में "समाज में उग्रवाद" विषय पर एक सेमीनार आयोजित किया था जिसने यह निष्कर्ष निकाला था कि "घरेलू उग्रवाद" ने एक संगीन जुर्म का रूप धारण कर लिया है। संचार के साधन भी अब जिसका नोटिस लेने पर मजबूर हैं। कनाडा के पब्लिक प्राज़ीक्यूटर मिस्टर किंग के मतानुसार घरेलू उग्रवाद में दिन-प्रतिदिन बढ़ोत्तरी की ज़िम्मे-

www.abulhasanalinadwi.org

दारी शराब और नशीले पदार्थों के प्रति बढ़ती हुई रुचि पर आयद होती है। उनका कहना है कि बैंक डकैतियों की तरह घरों की शान्ति व चैन पर डाका डालने वाले इस तत्व का भी पुलिस को नोटिस लेना चाहिये। और घरेलू उग्रवाद को पुलिस को हस्तक्षेप अपराध (Cognizable Offence) घोषित कर देना चाहिए। सेमीनार ने मिस्टर किंग की इस राय से सहमति व्यक्त किया।

अमेरिका का हाल तो और भी बुरा है। वहाँ एक सर्वेक्षण के अनुसार 16 प्रतिशत जोड़े (दम्पत्ति) घरेलू उग्रवाद के शिकार हैं। जहाँ डेविड कोर्निन तथा कैथेलिन टर्फी के अनुसार प्रति वर्ष तीन लाख छिहत्तर हज़ार बच्चों को वासना का शिकार बनाया जाता है। जहाँ घरेलू उग्रवाद का प्रदर्शन बीवियों को मारने-पीटने, हाथ पैर बाँध कर उल्टा लटका देने, गला घोटने और बलात्कार के रूप में होता रहता है। सोवियत यूनियन का हाल भी कुछ अधिक भिन्न नहीं है जहाँ तलाक़ की घटनायें आम हैं और वैयक्तिक जीवन की बुनियादें हिलकर रह गई हैं।

www.abulhasanalinadwi.org